कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 3065 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, 19 ~~फरवरी~~ मार्च, 2025।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/155338/2015

विषयः– **765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 एवं 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.8064 हे0 एवं 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288 हे0 एवं आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे0 तथा 2460 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित वन भूमि 1.3685 हे0 तथा संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 अर्थात कुल प्रभावित वन भूमि 1.7141 हे0 एवं 220 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.4145 हे0 एवं 16 वृक्षों के पातन एवं फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे0 व 67 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 15.7791 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 21.2704 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 2818 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1025/11–सी–FP/UP/TRANS/155338/2015, दिनांक–15.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रयागराज वन प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व में चयनित 39.8038 हे0 अवनत वन भूमि के स्थान पर आवश्यक 42.5408 हे0 अवनत वन भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख **(KML File, जियो रेफरेन्स डिजिटल मैप, टोपो शीट, CA का प्राक्कलन, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र, CA चेकलिस्ट, फार्म–क का भाग–2 एवं DSS Analysis रिपोर्ट)** परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संशोधित प्रस्ताव आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

अध्याय –5
पंचवर्षीय योजनाएं

5.1 सामाजिक वानिकी परियोजना : वर्ष 1952 के पूर्व के वर्षों में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा वनों से संबंधित, जो भी कार्य हुए उनमें वन मार्गों का निर्माण, पुलिया निर्माण व आवासीय भवनों का निर्माण ही मुख्य कार्य थे। यह सोच प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं (1950–51 से 1955–56 व 1956–57 से 1960–61) तक रही। इसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में वनीकरण व भूमि एवं जल संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों को प्राथमिकता दी गयी। छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उ0 प्र0 में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में वनीकरण कार्य किए गये। इस योजना के अन्तर्गत वन भूमि के साथ–साथ ग्राम समाज भूमि, सड़कों व रेल मार्गों के किनारे उपलब्ध भूमि में बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किए गये।

5.2 प्रदेश व विभाग का आयोजनागत व्यय– वन विभाग को राजस्व का स्रोत मानते हुये विभागीय कार्यों हेतु उसी अनुपात में बजट उपलब्ध कराया जाता रहा है। यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये गये आयोजनागत बजट की तुलना, प्रदेश के कुल आयोजनागत बजट से की जाय, तो यह औसतन 1 से 2 प्रतिशत के लगभग आता है, जिससे विभाग की उपेक्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। विभागीय बजट का प्रादेशिक बजट से तुलनात्मक विवरण सारणी 5.1 में दिया गया है।

सारणी – 5.1

प्रदेश के कुल आयोजनागत व्यय के सापेक्ष वन विभाग का आयोजनागत व्यय

योजना अवधि	उत्तर प्रदेश का कुल आयोजनागत व्यय करोड़ रू0 में	वन विभाग का कुल आयोजनागत व्यय करोड़ रू0 में	स्तम्भ 3 का 2 से प्रतिशत
1 प्रथम योजना काल 1951–56	153	1.39	0.91
2 द्वितीय योजना 1956–61	233	2.68	1.15
3 तृतीय योजना 1961–66	561	9.45	1.68
4 तीन वार्षिक योजनाएं 1966–69	455	7.16	1.57
5 चतुर्थ योजना 1969–74	1,165	17.20	1.48
6 पंचम योजना 1974–79	2,909	29.75	1.02
7 वार्षिक योजना 1979–80	829	11.36	1.37
8 छठी योजना 1980–85	6,594	109.59	1.66
9 सप्तम योजना 1985–90	11,949	286.04	2.39
10 दो वार्षिक योजनाएं 1990–92	6,904	168.42	2.44
11 अष्टम योजना 1992–97	21,680	377.97	1.74
12 नवीं योजना 1997–02	28,309	571.35	2.02
13 वार्षिक योजना 2002–03	6,597	60.07	0.91
14 वार्षिक योजना 2003–04	3,276	53.50	1.63
15 वार्षिक योजना 2004–05	5,098	64.69	1.27
16 वार्षिक योजना 2005–06	7,509	134.87	1.80
17 वार्षिक योजना 2006–07	9,698	176.13	1.82
18 वार्षिक योजना 2007–08	11,744	235.55	2.01
19 वार्षिक योजना 2008–09	20,919	361.95	1.73
20 वार्षिक योजना 2009–10	अप्राप्त	208.96	–
21 वार्षिक योजना 2010–11	अप्राप्त	131.30	–
22 वार्षिक योजना 2011–12	अप्राप्त	150.16	–
23 वार्षिक योजना 2012–13	अप्राप्त	188.14	–
24 वार्षिक योजना 2013–14	अप्राप्त	257.09	–
25 वार्षिक योजना 2014–15	अप्राप्त	325.22	–
26 वार्षिक योजना 2015–16	अप्राप्त	360.76	–

5.3 राजस्व एवं व्ययः प्रभाग के वनों को राजस्व के स्रोत के रूप में ही देखा गया है। प्रभाग में उपलब्ध सभी वन उपज का अधिकतम विदोहन किया गया, परन्तु इनकी सतत् आपूर्ति बनाये रखने हेतु कोई उल्लेखनीय प्रयास नही किया गया। फलस्वरूप समय के साथ पहले तो राजस्व में वृद्धि हुई है, परन्तु एक निश्चित अवधि के पश्चात् प्रभाग के राजस्व मे कमी हुई।

सारणी 5.2
वर्षवार प्रभाग में प्राप्त राजस्व

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	20015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्व (करोड़ में)	20.06	18.83	29.78	45.81	67.55	81.51	80.37	91.19	73.48	116.94

प्रभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर

5.4 चालू योजनाएंः दसवीं व ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गयी/की जा रही हैं, उनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैं–

1. जिला योजना के अन्तर्गत
   (क) सामाजिक वानिकी
   (ख) औद्योगिक एवं पल्पउड वृक्षारोपण,
   (ग) शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी
   (घ) एस0 सी0 एस0 पी0
   (ड) टी0 एस0 पी0
2. विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना" (1998–2003)
3. राष्ट्रीय वनीकरण योजना
4. अवनत वनों का सुदृढ़ीकरण
1. राज्य सेक्टर के अन्तर्गत
   (क) तेरहवें वित्त आयोग के संस्तुतियों का क्रियान्वयन
   (ख) वृक्षारोपण विस्तार योजना
   (ग) हाई वैल्यू प्लांटेशन
   (घ) वृक्षारोपण विस्तार योजना
2. मनरेगा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद

———000———

जनपद–प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट–1 (CKT-1) मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन के निर्माण में कानपुर नगर वन प्रभाग (0.3456 हे0), कानपुर देहात वन प्रभाग (0.8064 हे0), प्रयागराज वन प्रभाग (14.8394 हे0)=(14.4106 हे0 आरक्षित वन +0.4288 हे0 संरक्षित वन), औरैया वन प्रभाग (1.7141 हे0) = (0.3456 हे0 संरक्षित वन + 1.3685 हे0 आरक्षित वन), मैनपुरी वन प्रभाग (1.4145 हे0) तथा फतेहपुर वन प्रभाग (2.1504 हे0) कुल 21.2704 हे0 प्रभावित हो रही वन भूमि के दो गुने अर्थात 21.2704×2=42.5408 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि प्रयागराज वन प्रभाग के अन्तर्गत कोरांव रेंज के बसहरा वन ब्लाक (10 हे0), बेलहट वन ब्लाक (7.5408 हे0) तथा मेजा रेंज के बेधीपट्टी वन ब्लाक (25.00 हे0) कुल 42.5408 हे0 को चिन्हित किया गया है। चिन्हित अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं आगामी 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन निम्नानुसार है–

भूमि का प्रकार– पठारी			गड्ढों की संख्या– 8508			
प्रस्तावित क्षे0–42.5408 हे0			बोना नाली की संख्या– 12762			
क0 सं0	वन संरक्षक की अनुसूचित दर आइटम संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	3.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति हे0	42.5408	52.70	2241.90
2	3.3 ब	क्षेत्र की सफाई	प्रति हे0	42.5408	346.20	14727.62
3		निशानदेही				
	3.4 ब	क–गड्ढे	प्रति गड्ढा	8508	0.43	3624.41
	3.4 अ	ख–नाली	प्रति ट्रेच	12762	1.48	18887.76
4		अग्रिम मृदा कार्य				
	4.1 ब.2	नाली का खुदान (3.00 X 0.60 X 0.45) मी0 श्रमिकों द्वारा	प्रति ट्रेच	12762	92.30	1177932.60
	4.2 ब.1	गड्ढा खुदान पठारी भूमि (45 X 45 X 45) सेमी0	प्रति गड्ढा	8508	10.40	88483.20
5	10.4 ब	पत्थर की दीवाल का निर्माण नीचे की चौड़ाई–1.20 मी0 ऊपर की चौड़ाई–0.80 मी0 एवं ऊंचाई–1.00 मी0	प्र0 र0 मी0	6381	340.50	2172730.50
	10.4 द	पत्थर की दीवाल पर 0.10 मी0 मिट्टी चढाना जिसका टाप 0.80 मी0 हो	प्र0 र0 मी0	6381	4.40	28076.40
6		अन्य व्यय	प्रति हे0	42.5408	1100.00	46794.88
		योगः–				**3553499.27**
		या				**3553499.00**
		वृक्षारोपण कार्य				
1	6.1	गड्ढा भरान कार्य	प्रति गढ्ढा	8508	0.85	7231.80
2	8.7अ	गोबर की खाद का क्रय मय ढुलान सहित प्रति गड्ढा	प्रति गढ्ढा	8508	4.99	42454.92
3	8.7ब	जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट)	प्रति गढ्ढा	8508	5.55	47219.40
4	8.3	बोना नालियों में बीज बुआई हेतु बीज पर व्यय	प्र0.बो0ना0	12762	8.40	107200.80
5	6.3	बोना नाली की दरेशी	प्र0.बो0ना0	12762	3.50	44667.00
6	8.1	बोना नालियों मे बीज बुआन कार्य (दो लाइन	प्र0.बो0ना0	12762	2.10	26800.20
7	7.1अ	ट्रैक्टर द्वारा पौधों का ढुलान कार्य लदाई उतराई सहित – अतिरिक्त 5%	प्रति पौध	8508	17.30	147188.40
8	8. 4	पौधों की कीमत	प्रति पौध	8508	80.00	680640.00
9	7.5अ	पौधों का स्थानीय ढुलान कार्य	प्रति पौध	8508	5.40	45943.20
10	8.5 अ	पौध रोपण कार्य	प्रति पौध	8508	14.00	119112.00
11	8.10	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास (नव निर्माण)	प्रति थावला	8508	2.40	20419.20
12	14.7	पौधों की सिंचाई 8 बार (8508×8)	प्रति पौध	68064	3.50	238224.00
13	8.7द	कीटनाशक/रासायनिक खाद/दीमक रोधक क्रय व छिड़काव	प्रति पौध	46794	1.20	56152.80
14	3. 3 1	रोपण वर्ष में पौधों की लाइन में एक मी0 चौड़ाई में घास कटाई	प्रति हे0	42.5408	851.00	36202.22

क0 सं0	वन संरक्षक की अनुसूचित दर आइटम संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
15	9.1–1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य तीन बार (प्रथम निराई जुलाई/अगस्त, द्वितीय निराई सितम्बर से नवम्बर के मध्य एवं तृतीय शीतकालीन में (दर प्रति बार)	प्रति पौध	25524	1.20	30628.80
16	9.1–2	ट्रेन्चों की निराई गुड़ाई कार्य तीन बार (प्रथम निराई जुलाई/अगस्त, द्वितीय निराई सितम्बर से नवम्बर के मध्य एवं तृतीय शीतकालीन में (दर प्रति बार)	प्र0.बो0ना0	38286	3.30	126343.80
17		वृक्षारोपण की देख रेख हेतु श्रमिक (26×9×4)	प्रति दिन	936	201.00	188136.00
18	11	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई व लिखाई साइज (4.00x3.00) फिट	प्रति बोर्ड	4	6000.00	24000.00
19	10.4 ल	ड्राई चैक डैम का निर्माण	प्र0घ0मी0	4000	302.20	1208800.00
20	19.1	झोपड़ी निर्माण	प्र0झोपड़ी	4	11149.10	44596.40
21	11.4	अन्य व्यय	प्र0हे0	42.5408	1100.00	46794.88
		योग				3288755.82
		या				3288756.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि के आगणन का सारांश

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे0 में)	दर प्रति हे0 (रू0 में)	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि (रू0में)	द्वितीय चरण/ वर्ष से 10% महँगाई दर के आधार पर गुणांक	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अग्रिम मृदा कार्य	42.5408	0.00	3553499.00	1	3553499.00
2	वृक्षारोपण कार्य	42.5408	0.00	3288756.00	1.1	3617631.60
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	17900.00	761480.32	1.21	921391.19
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	42.5408	18209.00	774625.43	1.331	1031026.44
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	42.5408	19097.00	812401.66	1.4641	1189437.27
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	42.5408	7738.00	329180.71	1.6105	530145.53
7	पंचम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	9825.00	417963.36	1.7716	740463.89
8	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	6795.00	289064.74	1.9488	563329.36
9	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	6795.00	289064.74	2.1437	619668.07
10	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	1548.00	65853.16	2.3581	155288.33
11	नवम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	1548.00	65853.16	2.5939	170816.51
12	दशम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	1548.00	65853.16	2.8533	187898.82
		सम्पूर्ण योग				13280596.01
		या				13280596.00

R.O. Maja

R.O. Rozar

उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

जनपद–प्रयागराज अन्तर्गत साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट (CKT-1) के निर्माण में लाइन के नीचे सुरक्षा खांई व पत्थर बाड़ी के साथ औषधीय/बौने पौधों के रोपण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन–

भूमि का प्रकार–पठारी

दर–1100 पौध/हे0

क्षेत्रफल–14.8394

श्रमदर–रू0 237/मानव दिवस

रोपित पौधों की सं0–16,323

क्रम0 सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे0 में)	दर प्रति (हे0में)	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि (रू0 में)	द्वितीय चरण/ वर्ष से 10% महँगाई दर के आधार पर गुणांक	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अग्रिम मृदा कार्य	14.8394	44700.00	663321.18	1	663321.18
2	वृक्षारोपण कार्य	14.8394	20700.00	307175.58	1.1	337893.14
3	अनुरक्षण प्रथम वर्ष	14.8394	17900.00	265625.26	1.21	321406.56
4	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	1.331	138258.69
5	अनुरक्षण तृतीय वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	1.4641	152084.56
6	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	1.6105	167291.98
7	अनुरक्षण पंचम वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	1.7716	184026.37
8	अनुरक्षण षष्टम वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	1.9488	202433.16
9	अनुरक्षण सप्तम वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	2.1437	222678.55
10	अनुरक्षण अष्टम वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	2.3581	244949.52
11	अनुरक्षण नवम वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	2.5939	269443.44
12	अनुरक्षण दशम वर्ष	14.8394	7000.00	103875.80	2.8533	296388.82
	सम्पूर्ण योगः–					**3200175.97**
	या					**3200176.00**

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

भाग–2
(संम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7–परियोजना/स्कीम का नाम	जनपद–प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण में प्रभावित 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 14.8394 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख) जिला	प्रयागराज
(ग) वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज
(घ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0में)	14.8394 हे0
(ड) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित (14.4106 हे0) एवं संरक्षित (0.4288 हे0)
(च) हरियाली का घनत्व	0.1
(छ) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बंध में एफ0ए0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0– 4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	संलग्न है।
(ज) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षप्ति टिप्पणी।	सामान्य
(झ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमनित दूरी	वन भूमि
(ञ) क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित ब्यौरा दें।	नहीं
(ट) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(ठ) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्संबधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8–प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2, में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं
10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	–
क– प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	संलग्न है।
ख– प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवंक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।

ग– रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	–
घ– प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रूपये– 1,64,80,772=(CAकी धनराशि 1,32,80,596+औषधीय एवं बौने पौधें की धनराशि 32,00,176)
ङ– प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11– उप वन संरक्षक की स्थल निरिक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम–7 (ट, ठ) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवश्यक नहीं है।
12– विभाग/जिला प्रोफाइल	वन विभाग
क– जिले का भौगोलिक क्षेत्र	548200 हे0 या 5482.00 वर्ग किमी0
ख– जिले का वन क्षेत्र	21532.6661 हे0
ग– मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	1– 193.9288 हे0 (R. F) 4 मामले 2– 316.5949 हे0 (P. F) 133 मामले
घ– 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	–
1– दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	809.96 हे0
2– वनेत्तर भूमि पर	211.0874 हे0
ङ– अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	–
1–वन भूमि पर	809.96
2– वनेत्तर भूमि पर	211.0874
13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

स्थान–प्रयागराज

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/155338/2015 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयागराज वन प्रभाग के कोरांव रेंज के अन्तर्गत बसहरा वन ब्लाक **(सकल क्षे0 12 हे0, शुद्ध क्षे0 10 हे0)** एवं बेलहट वन ब्लाक **(सकल क्षे0 8.75 हे0, शुद्ध क्षे0 7.5408 हे0)** तथा मेजा रेंज के अन्तर्गत बेधीपट्टी वन ब्लाक **(सकल क्षे0 30 हे0, शुद्ध क्षे0 25 हे0)** का DSS Analysis कराया गया। DSS Analysis की रिपोर्ट के अनुसार बेलहट वन ब्लाक की उक्त वन भूमि को बेलहट फॉरेस्ट ब्लाक की सीमा से बाहर होने का उल्लेख किया गया है, जबकि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोरांव द्वारा उक्त वन भूमि को बेलहट आरक्षित वन भूमि के पिलर सं0–16, 17 व 18 के अन्दर होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। DSS Analysis तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोरांव के रिपोर्ट/सूचना की प्रति संलग्न है।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोरांव रेंज।

पत्रांक– 106 /15–1 दिनांक, कोरांव, जनवरी, 24, 2025।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

विषयः– जनपद–प्रयागराज में प्रस्तावित 765 के0वी0 मैनपुरी–बारा–सर्किट–1 के निर्माण में (आरक्षित एव संरक्षित) 21.2704 के दो गुने अर्थात 42.5408 हे0 के सापेक्ष कोरांव रेंज के अन्तर्गत बसहरा में (सकल 12 हे0 शुद्ध 10 हे0) व बेलहट में (सकल 8.75 हे0 शुद्ध 7.5408 हे0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–2187/15–1, दिनांक– 20–01–2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राप्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद–प्रयागराज के तहसील मेजा/वन रेंज कोरांव अन्तर्गत स्थित वन ब्लाक बसहरा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु उपलब्ध करायी गयी अवनत वन भूमि (सकल 12 हे0 शुद्ध 10 हे0) आरक्षित वन भूमि है, एवं तहसील/वन रेंज कोरांव अन्तर्गत वन ब्लाक बेलहट में उपलब्ध करायी गयी अवनत वन भूमि **(सकल 8.75 हे0 शुद्ध 7.5408 हे0)** आरक्षित वन भूमि है, जो पिलर सं0–16, 17 व 18 के अन्दर स्थित है उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र पूर्ण रूप से आरक्षित वन भूमि है।

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोरांव रेंज, प्रयागराज।

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), उ0प्र0, लखनऊ।

(वेबसाईट–www.upforest.gov.in. ई मेल–apccfit-up@nic.in. फोन न0–0522–2716619)

पत्रांक– 191 / 12–42–2 (जी0आई0एस0), लखनऊ, दिनांक, दिसम्बर, 19 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

विषय– प्रयागराज वन प्रभाग के कोरॉव रेंज के अन्तर्गत वन ब्लाक बसहरा के 12.00 हे0 तथा वन ब्लाक बेलहट के 8.75 हे0 कुल 20.75 हे0 अवनत वन भूमि के सापेक्ष 17.5408 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **DSS Analysis** कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–1781/15–1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 13, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् संदर्भित पत्र के क्रम में DSS Analysis के लिए प्रेषित जिओ कोआर्डिनेट/पॉलिगान के विश्लेषण फलस्वरूप उपरोक्त पॉलिगान का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

State- Uttar Pradesh

Analysis on the basis of Decision Rule-1 on DSS Portal for proposal for Diversion of 17.5408 ha of Prayagraj Social Forest Division

Sl No.	Range	CA_Land _Name	Net Area_ Ha	Net GIS Area_ Ha	Hydrological Layer ((The polygon does not touch any major river, Wetland or Water Body)	VDF (>1sq km) (The polygon is not having a VDF of more than 1 sq. km area)	Last Remnant of FTM (<50 sq. km) (The polygon is not having a rare forest type)	Protected Area (The polygon does not touch any Protected Area)	Wild life Habitat (The polygon does not touch any Wildlife Habitat.)	Overlapping on Previous Plantation The Polygon not touch any previous year plantation	Outside Forest Block Boundary Status	Conclusion
1	Koraon	Meja Forest Block	10.00	**11.97**	**No**	Open Forest (10-40)%	**No**	**No**	**No**	**No**	**No**	**Not Inviolate**
2	Koraon	Belhat Forest Block	7.5408	-	**No**	-	**No**	**No**	**No**	**No**	**Yes**	**Inviolate**
Total Area												

* As per the requisition portal total given area is 17.5408 Hac. & after analysis Open Forest area (10-40)% is 11.97 Hac.

संलग्नकः–मानचित्र एवं विवरण जी0आई0एस0 104678 के सापेक्ष पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

DSS ANALYSIS MAP OF PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND FOR PLANTATION IN MEJA FOREST BLOCK OF KORAON RANGE,PRAYAGRAJ SOCIAL FORESTRY DIVISION, UTTAR PRADESH

Satellite Image LISS-IV - Apr,2024

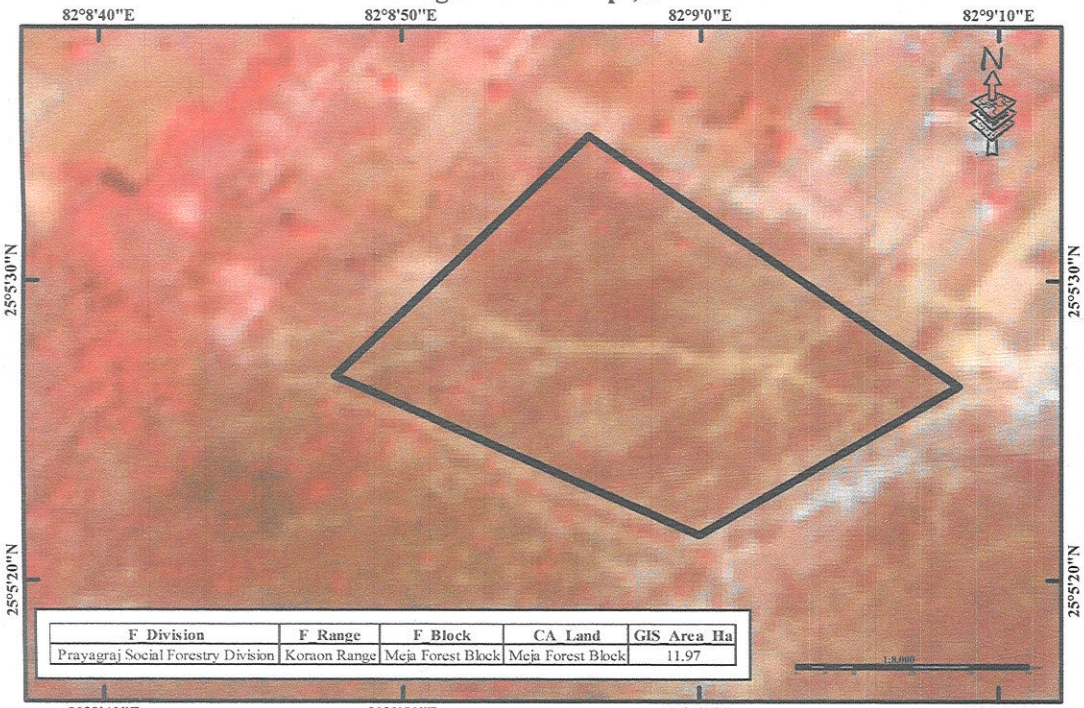

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	11.97

Google Satellite Image

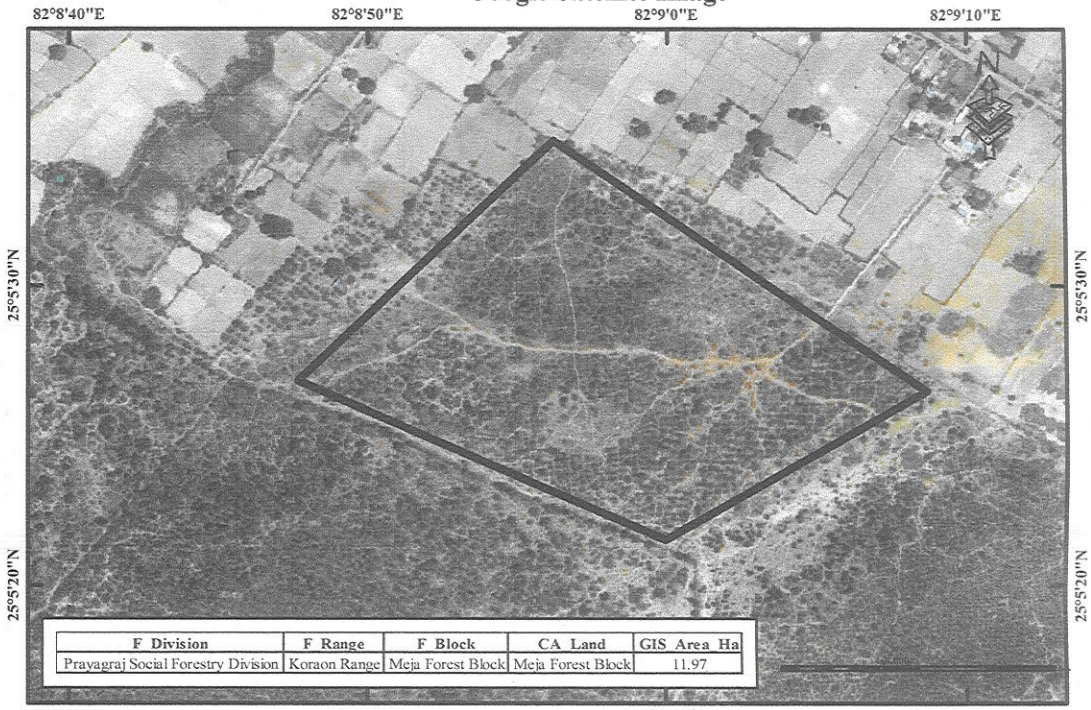

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	11.97

Forest Cover Data (FSI)

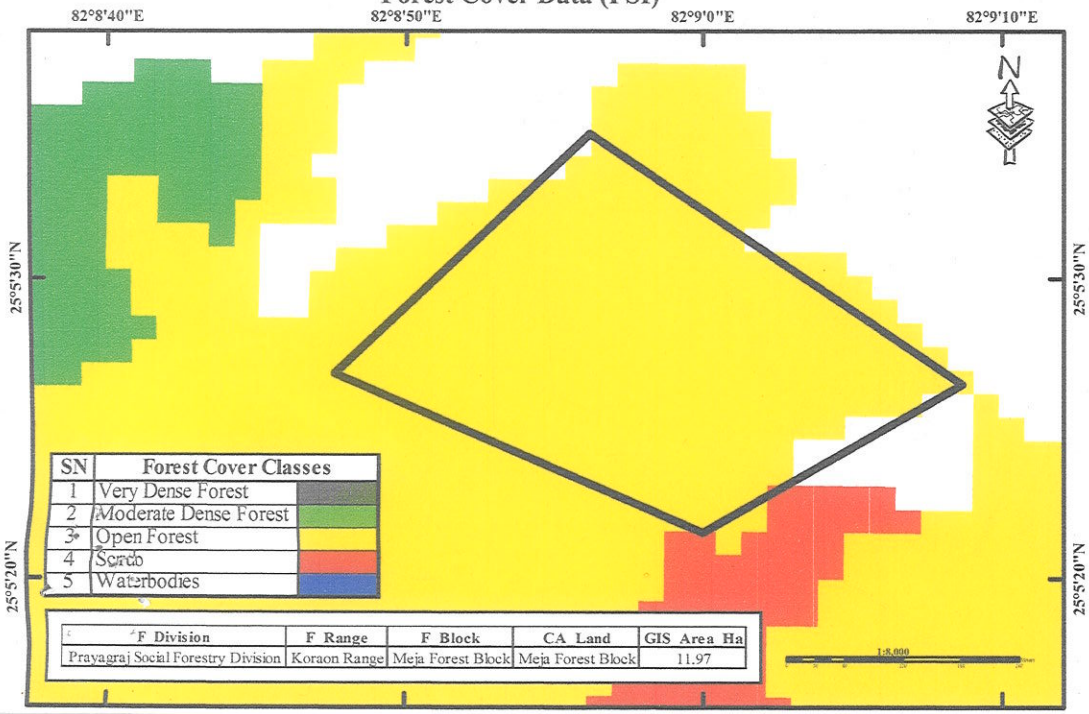

SN	Forest Cover Classes
1	Very Dense Forest
2	Moderate Dense Forest
3	Open Forest
4	Scrub
5	Waterbodies

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	11.97

Forest Cover Data (GIS LAB)

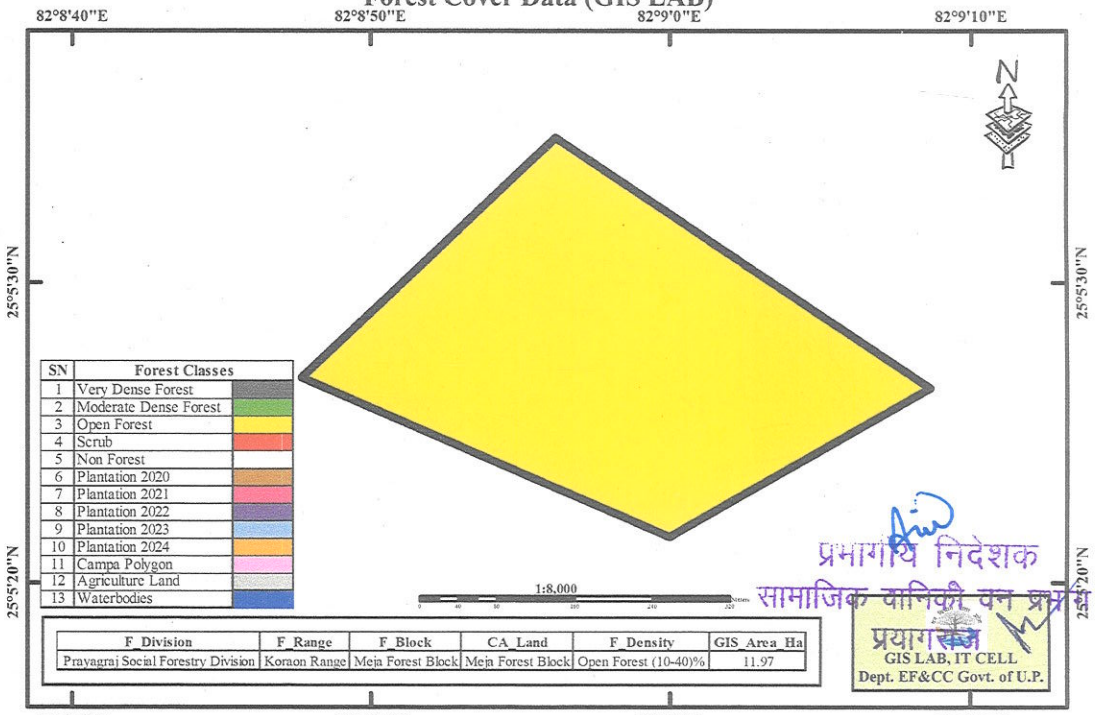

SN	Forest Classes
1	Very Dense Forest
2	Moderate Dense Forest
3	Open Forest
4	Scrub
5	Non Forest
6	Plantation 2020
7	Plantation 2021
8	Plantation 2022
9	Plantation 2023
10	Plantation 2024
11	Campa Polygon
12	Agriculture Land
13	Waterbodies

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	F_Density	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	Open Forest (10-40)%	11.97

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज
GIS LAB, IT CELL
Dept. EF&CC Govt. of U.P.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–प्रयागराज अन्तर्गत साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट–1 मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन के निर्माण में कानपुर देहात वन प्रभाग (0.8064 हे0), कानपुर नगर वन प्रभाग (0.3456 हे0), प्रयागराज वन प्रभाग (14.8394 हे0), मैनपुरी वन प्रभाग में (1.4145 हे0), औरैया वन प्रभाग (1.7141 हे0) तथा फतेहपुर वन प्रभाग (2.1504 हे0) कुल प्रभावित वन भूमि 21.2704 हे0 **(15.7791 हे0 RF + 5.4913 हे0 PF)** के दो गुने अर्थात 42.5408 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने हेतु अवनत वन भूमि प्रयागराज वन प्रभाग के कोरांव रेंज के बसहरा वन ब्लाक **(सकल क्षे0 12 हे0, शुद्ध क्षे0 10 हे0)** एवं बेलहट वन ब्लाक **(सकल क्षे0 8.75 हे0, शुद्ध क्षे0 7.5408 हे0)** तथा मेजा रेंज के अन्तर्गत बेधीपट्टी वन ब्लाक **(सकल क्षे0 30 हे0, शुद्ध क्षे0 25 हे0)** को चिन्हित किया गया है। चिन्हित अवनत वन भूमि प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त तथा अतिक्रमण व अधिभार से मुक्त है।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

R.O. Meja

R.O. Koraon

उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज

वन रेंज– मेजा

बेधीपट्टी (सकल क्षे0 30 हे0, शुद्ध क्षे0 25 हे0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

क्रम सं0	बिन्दु	टिक बाक्स (/ x)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लाक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानको के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है संबन्धी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	X
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्टाना की झाडियाँ अथवा घास–फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	X
11	05 हे0 से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई0टी0 सेल से कराया जाये।	✓

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेजा रेन्ज
सा0वा0 प्रभाग प्रयागराज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

वन रेंज– कोरांव

बेलहट (सकल क्षे0 8.75 हे0, शुद्ध क्षे0 7.5408 हे0) एवं
बसहरा (सकल क्षे0 12 हे0, शुद्ध क्षे0 10 हे0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

क्रम सं0	बिन्दु	टिक बाक्स (/ ×)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लाक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानको के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है संबन्धी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	×
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्टाना की झाडियाँ अथवा घास–फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	×
11	05 हे0 से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई0टी0 सेल से कराया जाये।	✓

R.O. Koraon

उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज

प्रभागीय वनदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

765 kV S/c MAINPURI - BARA CKT. 1

CA LAND - KORAON & MEJA

(108)

निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G44Q4

Scale 1:50,000

Allahābād UTTAR PRADESH G44P15 (63G/15)	G44Q3 (63K/3)	G44Q7 (63K/7) Sānt Ravidās Nagar UTTAR PRADESH
G44P16 (63G/16)	G44Q4 (63K/4)	G44Q8 (63K/8)
G44V13 (63H/13) 2 Rewa MADHYA PRADESH	G44W1 (63L/1)	Mirzāpur UTTAR PRADESH G44W5 (63L/5)

1 Jaunpur, UTTAR PRADESH.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

1st Edition 2011. Price : Rs.//- /-

CONVENTIONAL SYMBOLS

Express highway: with toll; with bridge; with distance stone ....
Roads, metalled: according to importance ....
Roads, double carriageway: according to importance ....
Unmetalled road. Cart-track. Pack-track with pass. Foot-path ....
Streams: with track in bed; undefined. Canal ....
Dams: masonry or rock-filled; earthwork. Weir ....
River: dry with water channel; with island & rocks. Tidal river ....
Submerged rocks. Shoal. Swamp. Reeds ....
Wells: lined; unlined. Tube-well. Spring. Tanks: perennial; dry ....
Embankments: road or rail; tank. Broken ground ....
Railways, broad gauge: double; single with station; under constn. ....
Railways, other gauges: double; single with distance stone; do. ....
Mineral line or tramway. Kiln. Cutting with tunnel ....
Contours with sub-features. Rocky slopes. Cliffs ....
Sand features:(1)flat. (2)sand-hills(permanent). (3)dunes(shifting) ....
Towns or Villages: inhabited; deserted. Fort ....
Huts: permanent; temporary. Tower. Antiquities ....
Temple. Chhatri. Church. Masjid. Idgāh. Tomb. Graves ....
Lighthouse. Lightship. Buoys: lighted; unlighted. Anchorage ....
Mine. Vine on trellis. Grass. Scrub ....
Palms: palmyra; other. Plantain. Conifer. Bamboo. Other trees ....
Areas: cultivated; wooded. Surveyed tree ....
Boundary, international ....
" state: demarcated; undemarcated ....
" district: subdivision; tahsil or tāluk; forest ....
Boundary pillars: surveyed; unlocated ....
Heights, triangulated: station; point; approximate ....
Bench-mark: geodetic; tertiary; canal ....
Post office. Telegraph office. Overhead tank ....
Rest house or Inspection bungalow. Circuit house. Police station ....
Camping ground. Forest: reserved; protected ....
Spaced names: administrative; locality or tribal ....
Hospital. Dispensary. Veterinary: Hospital / Dispensary ....
Aerodrome. Helipad. Tourist site ....
Power line: with pylons surveyed; with poles unsurveyed ....

REFERENCE

FB Foot bridge

NOTES :-

Heights are in metres and above Indian mean sea level.
Contours are approximate.
A relative heights, e.g.,-8; represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.
The kilometre stone numbers along roads, railways and canals are shown in slant type, e.g., '5' whereas milestone numbers are shown in upright type, e.g., '5'.
Unmetalled roads and cart-tracks in this sheet are motorable in dry season. Permission to use those above along canals is required from the irrigation authorities.
Wells are numerous throughout the sheet; only the important ones have been shown.
A relative height, e.g.,-6; marked along canal, indicates the height of the top of the canal embankment the adjacent country.
The common boundaries of the Reserved Forests in this sheet, have not been shown for want of reliable information.
Tanks, shown dry in this area, usually contain water from July to January.
The district boundary in the Ganga River follows the main deep water channel and will change with the fluctuations of that channel.

COMPILATION INDEX

A Modern Survey 1970-71. Updated for major details during 2005-06 and administrative boundaries updated during 2008-09.

Projection - UTM Datum - WGS 84

Magnetic Variation from True North about ½° West in 2005.
(Decreasing by about 1' annually).

500 m to 1 cm 1:50,000 2 cm to 1 km

Metres 1000 500 0 1 2 3 Kilometres

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

For further details about this map, please contact
Director
East Uttar Pradesh Geo-Spatial Data Centre
Survey of India
B-2 Block, 2nd Floor, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.

WEBSITE - www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited without the written permission of Survey of India, the National Mapping Agency.

© GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2011.

REG. No.1011 (G) -WPG D'15 (East Uttar Pradesh GDC-1:50,000)-2012.

भारत के महासर्वेक्षक राजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एम.एस.सी. (फिजिक्स), पी.जी.डिप्लोमा (कार्टो) (आई.टी.सी. नीदरलैण्ड्स) के निदेशन में प्रकाशित,
Published under the direction of Rajendra Mani Tripathi, M.Sc. (Physics), P.G. Diploma (Carto) (ITC, The Netherlands) Surveyor General of India,
Survey of India, Hathibarkala Estate, Post Box No. 37, Dehra Dūn-248001 (Uttarākhand),
Department of Science & Technology, Government of India.

PRINTED AT THE WESTERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA.

① Behdipatti
② Belhat
③ Bashara

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

South U.P. Power Transmission Co. Ltd. Lucknow

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

GEO REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSETORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST LAND PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015 FOR 765kV S/C MAINPURI – BARA TRANS. LINE CKT–1,
FOREST RANGE – MEJA, PRAYAGRAJ.
FOREST BLOCK – BEDHIPATTI, SECTION–BEDHIPATTI, MEJA

Proposed = 25.0 Ha
Total = 30.0 Ha

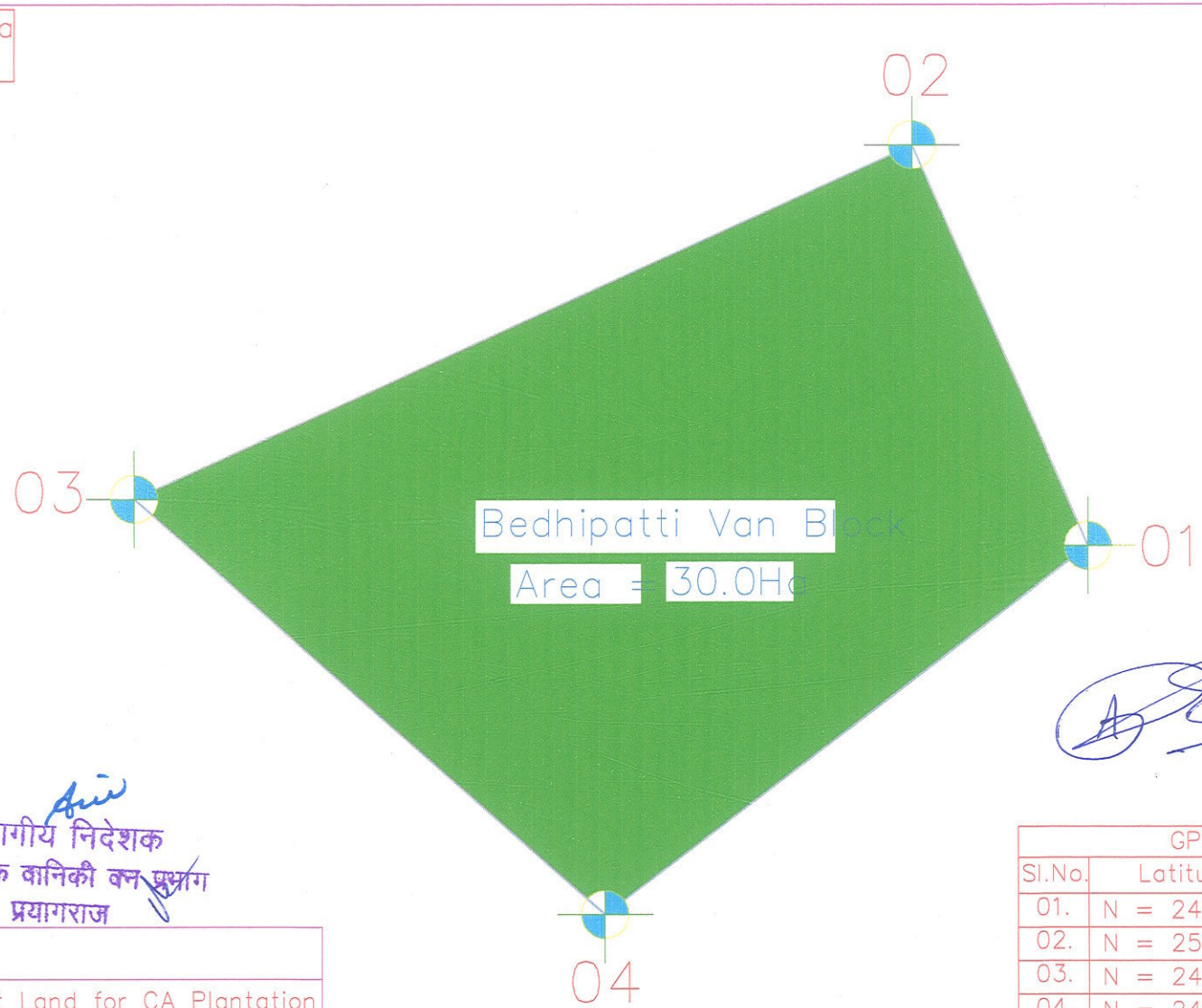

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

GPS Coordinate	
Proposed Forest Land for CA Plantation	

GPS COORDINATES		
Sl.No.	Latitude	Longitude
01.	N = 24°59'52.08"	E = 82°09'53.5"
02.	N = 25°00'04.5"	E = 82°09'47.09"
03.	N = 24°59'54.4"	E = 82°09'22.7"
04.	N = 24°59'42.02"	E = 82°09'37.08"

GEO REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSETORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST LAND
PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015 FOR 765kV S/C MAINPURI – BARA TRANS. LINE CKT-1,
FOREST RANGE – KORAON, PRAYAGRAJ.
FOREST BLOCK – BASAHRA, SECTION-BASAHRA, KORAON

Proposed = 10.0000 Ha
Total = 12.0000Ha

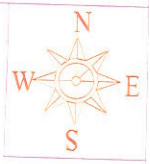

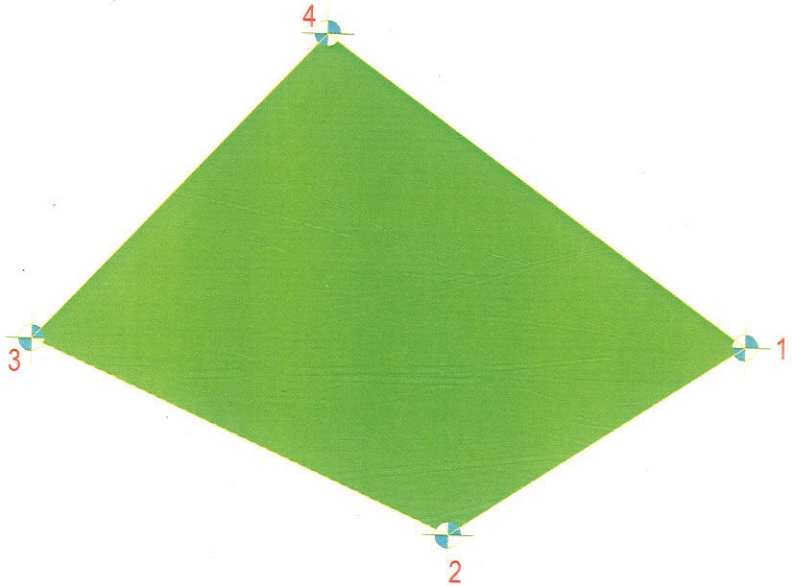

GPS COORDINATES

Sl.No.	Latitude	Longitude
01.	25° 5'26.69"N	82° 9'8.67"E
02.	25° 5'21.60"N	82° 9'0.00"E
03.	25° 5'26.72"N	82° 8'47.57"E
04.	25° 5'34.91"N	82° 8'56.21"E

GPS Coordinate

Proposed Forest Land for CA Plantation

प्रभागीय निदेशक
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
शंकरगढ़ रेंज
प्रयागराज

GEO REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSETORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST LAND
PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015 FOR 765kV S/C MAINPURI – BARA TRANS. LINE CKT-1,
FOREST RANGE – KORAON, PRAYAGRAJ.
FOREST BLOCK – BELHAT, SECTION-BELHAT, KORAON

Proposed = 7.5408 Ha
Total = 8.7500 Ha

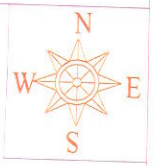

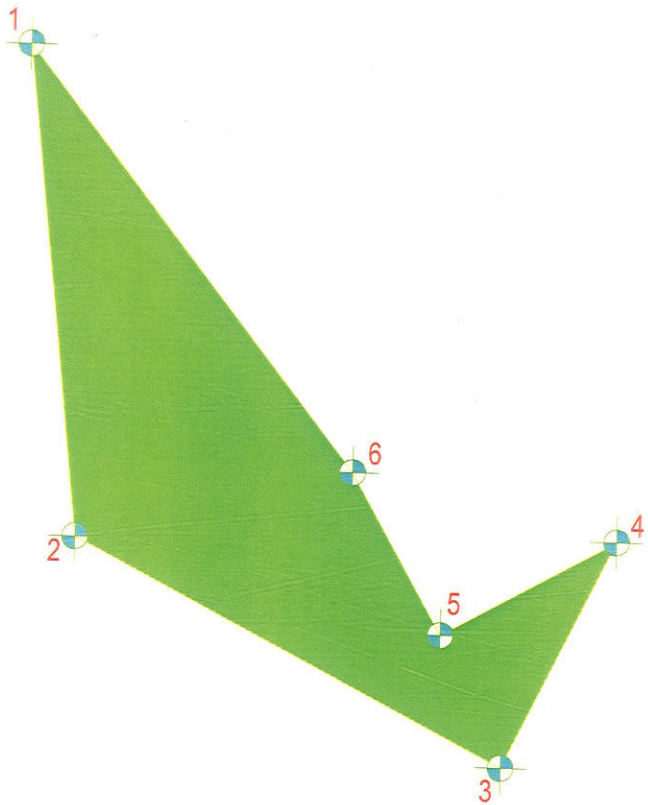

GPS COORDINATES		
Sl.No.	Latitude	Longitude
01.	25° 3'45.52"N	82° 7'12.02"E
02.	25° 3'32.36"N	82° 7'13.71"E
03.	25° 3'26.43"N	82° 7'26.26"E
04.	25° 3'32.34"N	82° 7'29.32"E
05.	25° 3'29.97"N	82° 7'24.45"E
06.	25° 3'34.24"N	82° 7'21.75"E

	GPS Coordinate
	Proposed Forest Land for CA Plantation

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

जनपद प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण में बाधक 2460 वृक्षों की सूची

S.No	Scientific Name	स्थानीय नाम	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	above 150	Total
1	Acacia mangium	अकेसिया मैंगियम	2334	0	0	0	0	0	2334
2	Eucalyptus	यूकेलिप्टस	29	0	0	0	0	0	29
3	Delonix regia	गोल्डमोहर	5	0	0	0	0	0	5
4	Terminalia arjuna	अर्जुन	0	2	0	0	0	0	2
5	Pithecolovium Dulce	जंगल जलेबी	1	0	0	0	0	0	1
6	Holoptelea integrifolia	चिलबिल	1	0	0	0	0	0	1
7	Pongamia pinnata	कंजी	1	0	0	0	0	0	1
8	Tectona grandis	सागौन	1	0	0	0	0	0	1
9	Acacia Catechu	खैर	84	0	0	0	0	0	84
10	Dalbergia sissoo	शीशम	2	0	0	0	0	0	2
		योग	**2458**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2460**

(महावीर कौन्जलगी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
प्रयागराज।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.
Lucknow

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - बारा विद्युत पारेषण लाइन सर्किट-1 जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया एवं मैनपुरी से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/15538/2015)

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज तथा साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08-10-22 को किया गया। प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288 हे०, झाँसी - प्रयागराज (NH-76 न्यू NH-35) के किमी० 366 – 365 एवं आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे० नीबी वन ब्लाक, शंकरगढ़ रेंज, जनपद - प्रयागराज के अंतर्गत अवस्थित है। प्रभावित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 14.8394 हे० है।

प्रभावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. Lucknow

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
प्रयागराज

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

36

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA-1980)

A proposal has been received by this office from **General Manager (Transmission),** South East U.P. Power Transmission Co. Ltd., Lucknow for diversion (under FCA-1980) of protected (0.4288 Ha) & Reserve (14.4106 Ha) total 14.8394 Ha. forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of protected / reserve forest land for non forestry purpose. The project envisages the use of protected / reserve forest land to be diverted for construction of **765kv S/C Mainpuri – Bara ckt-1 transmission line**, crossing between km milestone 365-366 on Prayagraj – Jhansi (NH-76) road at Vill. – Khan Semra, Tehsil – Bara, Distt. – Prayagraj (Uttar Pradesh).

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date ...08-10-2022

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a protected & reserve forest land measuring area of 14.8394 Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof. **NIL.**

Whether any protected archaeological / heritage site / defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. **NIL.**

a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes.**
b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **No.**

Recommendations for acceptance of the proposal.

Place.....
Date :.....

Divisional Forest Officer
Prayagraj

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - बारा विद्युत पारेषण लाइन सर्किट-1 जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया एवं मैनपुरी से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/15538/2015)

प्रभावित वन भूमि से 10 कि० मी० की परिधि में कोई सेंचुरी / वन जीव विहार नहीं है सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है , कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा ट्रान्समिशन लाइन सर्किट -1 क्षेत्र में 10 कि० मी० की परिधि में कोई सेंचुरी, वन विहार , सरकारी फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी, कॉरिडोर आदि नहीं है।

South East U.P. Power Transmission Co. Lucknow

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड.

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) का आगणन

जनपद–प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण में प्रभावित 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 14.8394 हे0 वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) का आगणन निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 में)	इको क्लास श्रेणी	दर प्रति हे0 (रू0 में)	प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	जनपद–प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण में प्रभावित 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 14.8394 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन की अनुमति।	14.8394	Eco-Class-3 open forest	957780.00	1,42,12,880.532
	योग				1,42,12,880.532
	या				1,42,12,881.00

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

संस्तुति

जनपद–प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण में प्रभावित 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 14.8394 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION CO. LTD.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, एवं प्रयागराज से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/15538/2015)

न्यूनतम वनभूमि प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में वन भूमि क्षेत्रफल 14.8394 हेक्टेयर में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षो एवं संरक्षित तथा आरक्षित वन भूमि के अतरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, और मांगी गयी वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. Lucknow

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 3066 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, 19 ~~फरवरी~~ मार्च, 2025।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/155338/2015

विषयः– **765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 एवं 18 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.8064 हे0 व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि अर्थात कुल 3.1136 हे0 वन भूमि तथा 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288 हे0 व आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे0 अर्थात कुल 14.8394 हे0 वन भूमि तथा 2460 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 व आरक्षित वन भूमि 1.3685 हे0 अर्थात कुल प्रभावित वन भूमि 1.7141 हे0 एवं 220 वृक्षों/पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.4145 हे0 एवं 16 वृक्षों/पौधों के पातन एवं फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे0 व 67 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात 5. 4913 हे0 संरक्षित वन भूमि, 15.7791 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि कुल 23.5776 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 2898 वृक्षों/पौधों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/112, दिनांक–27.08.2024 तथा आपका पत्रांक–571/11–सी–FP/UP/TRANS/155338/2015, दिनांक–28.08.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी बिन्दुवार सूचना/अभिलेख कुल ऑनलाइन अपलोड कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित है–

S.No.	Query	Reply
1	2	3
1.	The revised kml file of the complete route depicting Forest land as well as non-forest land needs to be uploaded on PARIVESH portal since the area in kml file of proposed diversion area is **20.6763 ha** and the area proposed for diversion is 19.9019 ha which is not matching.	संशोधित kml File यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
2.	As per the DSS. some parts of the forest block area in the KML file at Mainpuri, Auraiya and Kanpur Dehat districts have been demarcated as Non-Forest land. Thus, the rectified and revised KML file along with all related documents of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the PARIVESH portal.	संशोधित kml File मैनपुरी, औरैया तथा कानपुर देहात वन प्रभाग द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
3.	The KML file of the alternate routes with demarcation of Forest area and Non-Forest area needs to be uploaded on the portal.	संशोधित kml File यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
4.	A Solar Power Plant is visible in Google earth Imagery close to the area proposed for CA in Meja Range. The concerned DFO needs to provide the approval details of Solar Power Plant and if the Solar power plant is in non-forest land, the DFO shall submit a certificate that the said solar plant is in Non Forest Land.	प्रयागराज वन प्रभाग से अपेक्षित प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
5.	Approval details of existing Transmission line close to the proposed Transmission line needs to be submitted.	यूजर एजेन्सी द्वारा अपेक्षित विवरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
6.	Divisional Forest Officer (DFO) Kanpur Dehat to re-inspect the area proposed for diversion as it seems that some part of PF area is undervalued.	कानपुर वन प्रभाग द्वारा वन भूमि को संशोधित कर उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण में प्रभावित वन भूमि 21.2704 हे0 **(15.7791 हे0 RF + 5.4913 हे0 PF)** के दो गुने अर्थात 42.5408 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने हेतु मेजा रेंज के अन्तर्गत बेधीपट्टी वन ब्लाक में **(सकल क्षे0 30 हे0, शुद्ध क्षे0 25 हे0)** तथा कोरांव रेंज के अन्तर्गत बसहरा वन ब्लाक **(सकल क्षे0 12 हे0, शुद्ध क्षे0 10 हे0)** तथा बेलहट वन ब्लाक में **(सकल क्षे0 8.75 हे0, शुद्ध क्षे0 7.5408 हे0)** का चयन किया गया है। **CA हेतु प्रस्तावित अवनत वन भूमि बेधीपट्टी वन ब्लाक के समीप एक सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित है, जो कि पूर्ण रूप से गैर वन भूमि (NFL) पर स्थित है।**

R.O. Meja

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज